2019 का विधेयक सं.4

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 21 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 21 का विद्यमान खण्ड (च) हटाया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 का खण्ड (च) नगरपालिका के किसी सदस्य के लिए शैक्षिक अर्हता का उपबंध करता है। यह विचार किया गया कि शैक्षिक अर्हता का यह उपबंध नगरपालिका के सदस्य का चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बंधन लगाता है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि नगरपालिका के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक अर्हता का निर्बंधन हटाया जाये। तदनुसार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 का खण्ड (च) हटाया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

21. सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति.- धारा 6 और 24 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि-

(क) से (ङ) XX XX XX XX XX

(च) उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो; और

(छ) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

Bill No. 4 of 2019

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- The existing clause (f) of section 21 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (f) of section 21 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 provides for educational qualification for a member of the Municipality. It is considered that the provision of educational qualification create unreasonable restriction on the right of a person to contest election of a member of the Municipality. Therefore, it is proposed that the restriction of educational qualification for contesting election of a member of the Municipality be removed. Accordingly, clause (f) of section 21 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 is proposed to be deleted.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009
(Act No. 18 of 2009)

XX XX XX XX XX XX

21. Persons qualified for being members.- Subject to the provisions contained in sections 6 and 24 a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a Municipality unless-

(a) to (e) xx xx xx xx xx xx xx

(f) he has passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board; and

(g) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

2019 का विधेयक सं. 4

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 4 of 2019

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(Shanti Kumar Dhariwal, Minister-Incharge)